"टेण्डर नोटिस"

पुलिस कार्यालय, हमीरपुर मे लेखन सामग्री जो सूची मे अंकित है की आवश्यकता है। जो विक्रेता पुलिस कार्यालय हमीरपुर में वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिये लेखन सामग्री की आपूर्ति करने के इच्छुक हो वे अपने रेट की सूची आपूर्ति करने के लिए लेखन सामग्री नमूना सहित सील बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते है, जिसमे निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगाः–

1. लेखन सामग्री वर्ष 2026–27 मे समय–समय पर क्रय की जाएगी तथा मॉग–पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर स्टेशनरी की आपूर्ति करनी होगी और प्रत्येक लेखन सामग्री की दरे जीएसटी सहित देनी होगी। स्वीकृत होने पर दिनॉक 31.03.2027 तक के लिये मान्य होगा।
2. टेण्डर फार्म प्राप्त करने के लिये निविदा दाता को रूपया 500/– प्रति टेण्डर फार्म हेतु प्रधान लिपिक के पास जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त करना होगा।
3. जिन निविदा दाताओ के टेण्डर में नमूना एंव टेण्डरमार्क अंकित नही होगा, उनका टेण्डर अस्वीकृत होगा।
4. निविदा दाता का टेण्डर फार्म स्वीकृत हो जाने के उपरान्त एक एग्रीमेन्ट दस रूपये के स्टाम्प पर दाखिल करना होगा तथा रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) जमानत के रूप मे जमा करना होगा।
5. जमानत की धनराशि एफ0डी0 आर0/बचत पत्र के माध्यम से दी जा सकती है, जो पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के नाम बन्धक होगी।
6. निविदा दाता द्वारा संलग्न किये गये नमूना के अनुसार लेखन सामग्री की सम्पूर्ति करनी होगी। यदि निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये नमूने की गुणवत्ता से निम्न स्तर की सामग्री निविदा दाता द्वारा सम्पूर्ति की जाती है तो पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार होगा कि निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत बिल से 10 से 20 प्रतिशत तक कटौती कर ले।
7. निविदा दाता द्वारा टेण्डर के साथ नमूना सील बन्द व सुरक्षित रखी जायेगी एंव समय–समय पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी चेकिंग की जायेगी।
8. प्रस्तुत निविदाओ में जिस निविदा दाता के रेट सबसे न्यूनतम होंगे तथा आपूर्ति द्वारा नमूने की गणवत्ता अच्छी होगी, उसी निविदा स्वीकार की जायेगी।
9. सम्पूर्ति किये जाने वाले कागज का रिम पॉच सौ माना जाएगा। यदि किसी सम्पूर्ति मे कागज की गुणवत्ता एंव मात्रा मे फर्म द्वारा कमी की जाती है तो उसके द्वारा प्रस्तुत दर में समानुपातिक रूप से कटौती करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा।
10. जिस विक्रेता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उसे प्रस्तावित दरो पर स्वीकृति की तिथि से 31 मार्च 2027 तक सम्पूर्ति करना होगा।
11. यदि निविदा दाता प्रस्तुंत दरो पर सम्पूर्ति करने मे अक्षम होता है या दी गयी शर्तो का उल्लंधन करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत की धनराशि जब्त करने एंव टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा।
12. स्टेशनरी क्रय किये जाने की अनुमति से 03 दिवस के अन्दर विक्रेता को स्टेशनरी आपूर्ति करनी होगी यदि स्टेशनरी की आपूर्ति उक्त समय के अन्दर नही करता है तो रूपया 50/– प्रतिदिन के हिसाब से विक्रेता से फाइन चार्ज लिया जायेगा। यह चार्ज 15 दिवस तक चलेगा, यदि 15 दिन तक स्टेशनरी आपूर्ति नही करता है तो उसके टेण्डर को निरस्त कर, जमानत धनराशि जब्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को होगा।
13. पुलिस अधीक्षक का निर्णय अन्तिम एंव मान्य होगा, पुलिस अधीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को न्यूनतम होने पर बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत कर सकते है।
14. निविदा दाताओ को स्टेशनरी. सम्पूर्ति के एक–एक नमूने टेण्डर के साथ देने होगे और नमूने एक वर्ष तक पुलिस कार्यालय मे जमा रहेंगे। टेण्डर समाप्ति के बाद वे स्टेशनरी निविदा दाताओ को वापस कर दी जायेगी।

15. कय किया गया कॉर्टेज यदि खराब पाया जाता है अथवा कार्य नही करता है तो उसको बदलने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
16. फर्म को आयकर एंव वाणिज्यकर कार्यालय द्वारा पंजीकृत होना चाहिये, तथा जीएसटी, टिन नं0 एंव पैन नम्बर होना अनिवार्य है।
17. उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त ही बिलो का भुगतान किया जायेगा।
18. निविदा दाता को स्व–धोषित प्रमाण–पत्र देना होगा कि सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा आपूर्ति इत्यादि को लेकर, ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
19. निविदा के साथ स्व प्रमाणित फर्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, पैनकार्ड नम्बर, आधार नम्बर, जी0एस0टी0, रजिस्ट्रेशन देना होगा। अभिलेख न देने पर निविदा के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।
20. फर्म के पिछले तीन वर्ष के टर्न ओवर का विवरण संलग्न करना आवश्यक होगा।

अतः सील्ड बन्द टेण्डर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित क्षेत्राधिकारी सदर के कार्यालय में दिनॉक 05.06.2026 को समय प्रातः 10.00 बजे से अपरान्त 01.00 बजे तक टेण्डर बाक्स में डाले जायेगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोई भी टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा। टेण्डर उसी दिन क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा इच्छुक निविदादाता की उपस्थिति मे खोले जायेंगे। रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त टेण्डर स्वीकार नही किये जायेंगे। आपूर्ति किये जाने वाले लेखन सामग्री की सूची संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

पत्रांकः– ल– 02 /2026(लेखन सामग्री)
दिनॉकः– मई 11 ,2026

पुलिस अधीक्षक,
हमीरपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, बॉदा/चित्रकूट/महोबा/जालौन/कौशाम्बी/कानपुर देहात/पुलिस आयुक्त कानपुर नगर/प्रयागराज को सूचनार्थ एंव प्रचार–प्रसाद हेतु।
3. जिलाधिकारी हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष हमीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त टेण्डर का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करे।
5. दफतरी पुलिस कार्यालय हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड में चस्पा करना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल/सीसीटीएनएस को टेण्डर की प्रति यू0पी0 पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।